CMAR Newsletter

Promoting Excellence in City Management

Quarterly News Letter by City Managers' Association, Rajasthan

Issue: VIII, Apr. 2007

सम्पादकीय...

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान का मुख्य कार्य नगर निकायों के व्यावसायिक विकास के साथ–साथ सूचनाओं के प्रबन्धन एवं इनका प्रचार–प्रसार करना भी है। इन प्रयासों में इस संस्था द्वारा नगरीय प्रबन्धन की सर्वोत्तम प्रक्रियाएं संकलित व प्रकाशित की जाती हैं।

सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से नगर निकायों हेतु प्रशिक्षण योजना (Human Resource Development Training Plan) का क्रियान्वन किया गया। ये प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किये गये जिसमें फरवरी, 2007 तक सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा 2 अक्टूबर, 2006 को जयपुर में किया गया। इन प्रशिक्षणों हेतु एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी इस संस्था के सहयोग से प्रकाशित किया गया है।

इस प्रशिक्षण का प्रभाव नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों पर क्या रहा, इसे देखने के लिए शीघ्र ही एक अध्ययन किया जायेगा। आशा है कि यह अध्ययन अगस्त, 2007 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

नगरीय ठोस कचरा प्रबन्धन

(प्रबन्धन एवं हथालन)

नियम 2000-स्वच्छ शहर की तरफ कदम

(Municipal solid waste Management in India, A Resource Directory 2005, first addition published by International city/county Management Association)

द्वितीय चरण : घर-घर कचरा संग्रहण

वर्तमान परिस्थिति :

कचरे को एकत्र करने का उचित प्रबन्धन न होने के कारण भारत में कचरे का प्राथमिक संग्रहण महत्वपूर्ण दृष्टि से नहीं देखा जाता। घर–घर कचरा संग्रहण भी असफल रहता है क्योंकि इसके साथ सम्बन्धित सुविधाएं जैसे संग्रहण व कचरे का परिवहन आदि का समुचित मेल नहीं होता है। कचरा साधारणतया खुली सड़कों व गलियों में डाल दिया जाता है और वह सड़कों की सफाई के दौरान नहीं उठाया जाता है। घर–घर कचरा संग्रहण हेतु एक सम्पूर्ण तन्त्र की आवश्यकता होती है। कूड़ादान, स्थानान्तरण केन्द्र, संग्रहण वाहन के अभाव में गन्दगी का वातावरण बना रहता है। ठोस कचरे के संग्रहण की समस्या नगर निकायों में मुख्यतः आवश्यक सुविधाओं के अभाव या उनके उचित प्रयोग नहीं होने के कारण होती है। कचरा संग्रहण करने के वाहनों व उनकी आवृति का चयन निकायों द्वारा उपलब्ध वित्तीय व मानव संसाधन पर निर्भर करता है।

इन कारणों से निकायों में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक कारगर तरीका है। बहुत से नगर निकाय कचरा संग्रहण का कार्य निजी संचालकों द्वारा ठेके से करवाते हैं। निजी क्षेत्र के अलावा गैर सरकारी संस्थाएं, सामुदायिक संस्थाएं भी ठोस कचरा प्रबन्धन का कार्य करती हैं। नई दिल्ली में एक गैर सरकारी संस्था वातावरण (RWA के साथ मिलकर) ने विकेन्द्रीकृत कचरा प्रबन्धन हेतु 25 रिहायशी इलाकों में एक कार्यक्रम चला रखा है जो 25 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या को लाभान्वित करता है। इसी प्रकार EXNORA (Excellent Novel Radical) चेन्नई स्थित एक गैर सरकारी संस्था है जो समुदायों के सहयोग से स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबन्धन का कार्य करती है।

भारत में कचरे का संग्रहण बहुत से तरीकों से किया जाता है। मानविकी व मशीनीकृत दोनों तरीकों जैसे हाथगाड़ी, रिक्शा, ट्रैक्टर ट्राली या ऑटो ट्रिपर द्वारा यह कार्य किया जाता है।

नगरपालिका का उत्तरदायित्व

नगरपालिकाओं का यह उत्तरदायित्व है कि वे सभी घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से गीला व सूखा पृथक किया हुआ कचरा दैनिक रूप से एकत्रित करने हेतु नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करें। नगरीय ठोस कचरा प्रबन्धन नियम 2000 की अनुपालना हेतु आवश्यकताएं।

- दैनिक रूप से घर–घर कचरा संग्रहण करना।
- खतरनाक कचरा जैसे दवाइयाँ, खोल, बैटरी, कांच के टुकड़े, पेन्ट इत्यादि हेतु अलग से कचरा पात्र मुहैया करवाना।

- निजी कालोनियां बहुमंजिला भवन, व्यावसायिक कॉम्पलेक्स हेतु कचरे का संग्रहण सामुदायिक (केन्द्रीय) कचरा पात्र मुहैया करवा कर किया जा सकता है। घर–घर कचरे का संग्रहण पूर्व नियत समय पर हाथगाड़ी द्वारा या स्वचालित वाहन पर सीटी बजाकर (उसकी आवाज देय मानक स्तर से कम हो) किया जा सकता है।
- कच्ची व गंदी बस्तियों में संग्रहण का विशेष ध्यान रखा जाये जहां द्वार–द्वार या हर गली या सामुदायिक कचरा पात्र पद्धति द्वारा संग्रहण किया जाये।
- होटल, रेस्त्रा, ऑफिस कॉम्पलेक्स और गहन व्यावसायिक जैसे एकमुश्त कचरा उत्पादन क्षेत्रों से विशेष रूप से कचरा उठाने का प्रबन्ध किया जाये।
- बायोमेडिकल व खतरनाक कचरे के

संग्रहण हेतु विशेष प्रबन्ध किये जायें जिससे यह कचरा सामान्यः कचरे से ना मिल पाये ।

- घरों से उठाया हुआ कचरा सामुदायिक कचरा पात्रों में हाथगाड़ियों या छोटे वाहनों द्वारा स्थानान्तरित किया जाये।
- कचरे को खुले में जलाने की प्रवृति को रोका जाये।
- निर्माण व तोड़–फोड़ से उत्पन्न कचरे को अलग से इकठ्ठा कर मानकों के अनुसार निस्तारण किया जाये।

ठोस कचरे के प्रबन्धन में सार्थक प्रयास

एक कचरा पात्र मुक्त शहर सूर्यापेट, आन्ध्रप्रदेश

सूर्यापेट आन्ध्रप्रदेश के नालगोंडा जिले में स्थित एक छोटा कस्बा है जिसे भारत के प्रथम कचरा पात्र मुक्त शहर होने का गौरव प्राप्त है। सूर्यापेट 34 वर्ग किमी. में फैला हुआ व 28 वार्ड में विभाजित कस्बा है जिसकी जनसंख्या लगभग 1.3 लाख है। नगरपालिका ने प्रत्येक घर को लाल व हरा दो कूड़ेदान (जैविक कचरे हेतु हरा व पुनः चक्रित हेतु लाल) मुहैया करवाया है। कचरे के संग्रहण हेतु कस्बे को क्षेत्रों में विभाजित कर ट्रैक्टर व ट्रॉली द्वारा कचरा संग्रहित किया जाता है।

घर–घर कचरा संग्रहण हेतु प्रत्येक ट्रैक्टर पर चार कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक दिन प्रातः काल यह ट्रैक्टर निर्धारित क्षेत्रों में जाकर, सीटी बजाकर प्रत्येक घर से कचरा एकत्रित करते हैं। प्रत्येक घर पृथक किया हुआ कचरा सीधा इस ट्रैक्टर में डालते हैं जहां कर्मचारी इसे पुनः पृथक करते हैं।

ये प्रयास दिसम्बर 2002 में प्रारम्भ हुआ जिसके उत्साहजनक परिणाम आये। अब नागरिक कचरे को खुले में फेंकने के स्थान पर ट्रैक्टर में निस्तारित करते हैं। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप न केवल सड़कों के किनारे लगे लगभग 360 कचरा पात्र हटा दिये गये अपितु पुनः चक्रण योग्य कचरे को बेचने से अतिरिक्त आमदनी भी हुई। नगरपालिका ने जैविक क्षय कचरे से वर्मी कम्पोस्ट कर खाद बनाने का कार्य प्रारम्भ किया। इस कार्य हेतु विभिन्न स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाये गये।

सूर्यापेट कस्बे को इस तरह कचरा पात्र मुक्त बनाने में वहां के आयुक्त श्री एस. ए खादिर साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस व्यवस्था की स्वीकार्यता व निरन्तरता बनाये रखने के लिये पहले बैठकों, नुक्कड़ नाटकों, पोस्टरों, चल चित्रों आदि के माध्यमों से सामुदायिक जागरण किया गया। इस अभियान में नागरिकों को स्रोत पृथक्करण, कम्पोटिंग आदि के लाभों व सफाई व स्वच्छता, शिक्षा, बीमारियों संक्रमण आदि के महत्व के बारे में बताया गया।

इस प्रयास के परिणामस्वरूप पूर्णरूपेण घर–घर कचरा संग्रहण, कम्पोटिंग हेतु निस्तारण बीमारियों की रोकथाम व बेहतर जीवन स्तर विशेषतः कच्ची व गन्दी बस्तियों में सम्भव व नगरपालिका कर्मचारियों में स्वीकार्य हो सका ।

अधिक जानकारी के लिये सम्पर्क करें : सूर्यापेट नगरपालिका, srptmunicipality@rediffmail.com

सर्वोत्तम प्रक्रिया : निकायों के आय स्रोतों में वृद्धि करने के प्रयासों में

अचल सम्पत्ति से पहली बार राजस्व आया, नगरपरिषद् भीलवाड़ा ने प्राप्त किया

दस्तावेज निर्माण : श्री गिरीश दाधीच पूर्व आयुक्त, नगरपरिषद् भीलवाड़ा व सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान के पूर्व समन्वयक श्री अरविन्द प्रताप सिंह द्वारा।

सारांश

अचल सम्पत्तियाँ नगर निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दबाव डालती हैं जिसके परिणामस्वरूप निकायों पर वित्तीय अधिभार बढ़ता है। नगरीय सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने हेतु राजस्व की अभिवृद्धि आज शहरी निकायों की जरूरत ही नहीं मजबूरी बन गई है। ऐसे में अप्रत्यक्ष कर का कोई स्रोत मिल जाए तो उसे खुशहाली का शुभ संकेत कहा जाएगा।

1. पूर्व की स्थिति : चुंगी समाप्ति के बाद नगरपरिषद भीलवाड़ा ने भी अपनी आय के अतिरिक्त साधन जुटाने की तलाश शुरू कर दी है। इसी दौरान नगर परिषद् ने वर्तमान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 105 के अन्तर्गत 30 वर्ष पहले संशोधित (परिपत्र दिनांक 23/9/1976) प्रावधान अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आधा प्रतिशत सरचार्ज लगाने पर मंथन शुरू कर दिया। मंथन के दौरान यह तथ्य भी आया कि अभी तक राज्य में किसी निकाय ने इस सरचार्ज सम्बन्धी प्रयास नहीं किये हैं। कुछ प्रयास जयपुर नगर निगम द्वारा किये गए लेकिन सफल नहीं हो पाएं।

2. विस्तृत विवरण : नगरपरिषद् भीलवाड़ा द्वारा राजस्थान में पहली बार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आधा प्रतिशत सरचार्ज लगाने की पहल की गई । इस पहल में नगर परिषद् भीलवाड़ा ने अपनी शक्तियों के प्रयोग हेतु एक मजबूत इच्छा शक्ति व बेहतर समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। नगर परिषद् भीलवाड़ा ने अपने क्षेत्र में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आधा प्रतिशत सरचार्ज अप्रत्यक्ष कर के रूप में वसूलना शुरू किया जो आय का एक निरन्तर स्रोत बन गया है।

3. अपनाई गई रणनीतियाँ : इस पर नगर परिषद् भीलवाड़ा के आयुक्त गिरीश दाधीच तथा पैरोकार श्री ओम प्रकाश शर्मा आदि ने इस पर चर्चा शुरू की। नियमों का प्रारूप तैयार हुआ, फिर मंथन किया और अन्तिम रूप दिया। नगर परिषद् ने सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियां आमंत्रित कीं और अन्ततः विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए साधारण सभा से अनुमोदन करवाया गया।

अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर आधा प्रतिशत सरचार्ज लगाने का नियम बनाकर राज्य सरकार को भिजवाया गया। निदेशालय स्थानीय निकाय के स्टाफ से भी चर्चा की गई और नगर परिषद् के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने भी मुहर लगा दी ।

4. परिणाम : नगर परिषद् भीलवाड़ा द्वारा इस सरचार्ज के रूप में औसत मांग 8.1 लाख रुपये कायम की जाकर औसतन 5.0 लाख रुपये प्रतिमाह वसूले जा रहे हैं । वर्तमान में इस सरचार्ज से उल्लेखनीय राजस्व तो नहीं मिल पा रहा है लेकिन अगले दो तीन वर्षों में नगर परिषद् की स्वयं की आय का अच्छा साधन हो जाएगा। वर्तमान में भी इस मद से आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जबकि इस पर वसूली व्यय नगण्य है।

आय में उत्तरोत्तर वृद्धि का विवरण

वर्ष	वसूली लाखों में
2005–06	29.91
2006–07 अगस्त तक	29.46
2006–07 की माह वार प्रगति	
अप्रैल, 2006	2,88,086
मई, 2006	6,47,952
जून, 2006	7,28,855
जुलाई, 2006	6,79,345
अगस्त, 2006	6,02,704
योग :	29,46,942

एक वर्ष में रुपये 98 लाख मांग कायम की जाकर वसूली 60 लाख रुपये की गई है।

5. सीख : नगरपालिकाओं के पास बहुत से ऐसे आय के स्रोत हैं जो जानकारी व राजनैतिक इच्छा शक्ति के अभाव में उपयोग में नहीं लाये जा रहे हैं। अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर सरचार्ज भी इसी प्रकार का एक अप्रत्यक्ष कर है। इस प्रकार प्राप्त आय चूंकि नगरीय विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाऐं देने में ही खर्च होती है, अतः इसकी सामाजिक पहचान देखी जा सकती है।

6. निरन्तरता : अभी तो यह शैशवावस्था में है, लेकिन इस दृष्टि से भविष्य में भूमि एवं भवन के बेचान के मामले बढ़ते जाएंगे और नगर परिषद् भीलवाड़ा की आय भी बढ़ती जाएगी। इसके अलावा भूमि की कीमतें बढ़ने के अनुपात में भी नगर परिषद् के इस मद में आय बढ़ेगी। इस दृष्टि से यह कर भविष्य में आय का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है।

7. अन्य निकायों के लिये उपयोगिता : अचल सम्पत्ति पर आधा प्रतिशत कर लगाने के भीलवाडा नगर परिषद के उपनियम का अनुकरण करने हेतु अन्य निकायों ने भी प्रयास शुरू कर दिये हैं। राज्य सरकार द्वारा इस पहल को अनुमोदित किया गया है अतः अन्य निकाय भी इसका अनुसरण कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं –

श्री गिरीश चन्द्र दाधीच,
पूर्व आयुक्त, नगर परिषद्, भीलवाडा
वर्तमान आयुक्त, नगर परिषद्, टोंक
फोन नम्बर – 9414315819

कार्यक्रम परिचय : जी.एम.ई.डी. (GMED)

लघु व्यापार विकास कार्यक्रम

GMED एक लघु व्यापार विकास कार्यक्रम है जो कि USAID के अनुदान के अन्तर्गत ACDI/VOCA एव CARE संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है।

यह एक आनेखा कार्यक्रम है जो कि नगरीय सेवा के अन्तर्गत ठोस कचरा प्रबन्धन के क्षेत्र में राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लघु व्यापार विकास को प्रोत्साहित करता है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार और नगरपालिकाओं के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public Private Partnership-PPP) के प्रारूप को बढ़ावा दे रहा है।

सार्वजनिक निजी साझेदारी के द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन सेवा में लघु और मध्यम संस्थाओं (SME's) को सम्मिलित करने के अनेक लाभ हैं :–

- बेहतर क्षमता (कम लागत) और निजी निवेश की संभावनाएं।
- छोटी संस्थाएं ठोस कचरा प्रबंधन सेवा में गरीबों को रोजगार देने में प्राथमिकता देती है।
- नगरपालिकाओं के लिए लघु और मध्यम संस्थाओं के साथ व्यवहार और सामंजस्य बैठाना आसान है।
- एक बड़ी कम्पनी के बजाय बहुत सारी लघु और मध्यम संस्थाओं के साथ व्यवहार स्वस्थ व स्पर्धात्मक वातावरण उत्पन्न करता है।
- लघु और मध्यम संस्थाओं के साथ काम करने का मतलब अनौपचारिक प्रबन्ध को औपचारिक बनाना है।
- सार्वजनिक निजी साझेदारी नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन व व्यवस्था 2000 के नियमों को लागू करने का एक उत्तम तरीका है।
- सार्वजनिक निजी साझेदारी में नगरपालिकाओं के लिए GMED की भूमिका :
- ठोस कचरा प्रबंधन के लिए मूल योजना एवं बेहतर कार्यप्रणाली बनाने में मदद।
- नगरपालिकाओं का सर्वेक्षण और वित्तीय संसाधनों का विश्लेषण।
- नगरपालिकाओं के लिए प्रारूप, निविदा और समझौता दस्तावेज (Tender & Contract Documents) बनाना।
- निरीक्षण के लिए कार्य योजना और पद्धति बनाना।
- नगर निगम और संस्थाओं के प्रशिक्षण और क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करना।

मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण योजना)

प्रगति विवरण

मानव संसाधन विकास (प्रशिक्षण योजना) 2006–07 के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत जिला स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारम्भ माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा 2 अक्टूबर, 2006 को राज. स्वायत्त शासन संस्था जयपुर में किया गया। इसके साथ ही वास्तविक प्रशिक्षण के प्रथम चरण में दस जिलों में एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हुए। इन कार्यक्रमों का समन्वय सिटी मैनेजर्स एसोसिएशन राजस्थान व निदेशालय स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। जिला स्तर पर इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा की जा रही है।

Photo Feature : HRD

Seminar / Workshop

Seminar on "Transforming water and wastewater services in urban India: lessons from international best practices:"

The series of seminars were organized by US-AID and NIUA in collaboration with WSP on 2nd August, Nagpur and on 4th August in Kolkata. As part of the series, the seminar on "Transforming water and wastewater services in urban India: lessons from international best practices" was organized in Hotel Clarks Amer, Jaipur on August 8, 2006.

Mr. Anup Wadhawan Senior Utility Specialist, WSP South Asia presented overview of challenges and priorities for water and wastewater services in India. Dr. Allen Eisendrath, Policy and Infrastructure Advisor, USAID shared international best practice in action.

Workshop on Rajasthan Municipal Bill 2006

Institute of Town Planners India - Rajasthan Regional Chapter organized workshop on Rajasthan Municipal Bill 2006 on 17th Aug., 2006. Mr. Praveen Jain made presentation on issues concerned with town planning in the bill. After the discussion it was decided to send suggestions to Government regarding the observation received in ITPI-RRC.

Workshop on HIV / AIDS

ICMA SA organized a workshop on "Mainstreaming HIV / AIDS Program" in City Governments on 12th-13th September, 2006 at Hotel Taj, New Delhi with support of USAID and Family Health International (FHI). In the workshop role of City Governments towards HIV/ AIDS were discussed. ICMA SA shared documentation of Rapid Assessment Catalogue of 14 City Government, India. ICMA SA also shared its efforts for Fostering Partnership for Enabling Learning by film screening on Partnership between Ahmedabad Municipal Corporation and Greater Vishakhapatnam Municipal Corporation.

State Level Consultation on Role of Civil Society Organizations (CSOs) in JNNURM

A state level CSOs consultation was organized on 29th July, 2006 at **Venue: Indira Gandhi Panchayati Raj Sansthan, Jaipur, Rajasthan** on role of CSOs in JNNURM under the Chairmanship of Dr. Manjeet Singh, Secretary, LSG. Other panelists included Mr. Anand Mohan, Project Director, DLB, Mr. A. K. Joshi, Regional Chief HUDCO, Mr. P K Pandey, Additional Chief Town Planner, Dr. K K Bandopadhyay, National Coordinator-Urban Governance, PRIA and Mr. Sachin Sachdeva, Joint Director, Unnati. Officer on Special Duty to Chief Minister Ms. Aditi Thorat was also present in the consultation. A total 45 CSOs representatives across the state participated in this meeting along with ULB councilors from Karauli, Jhunjhunu, Jodhpur and Ajmer.

The consultation deliberated upon the role of CSOs in JNNURM. National and state level progress was shared under JNNURM. The sharing reflected the lack of space for CSOs and citizen groups in order to get them engaged with the state to participate in the UIG, BSUP, UIDSSMT and IHSDP. It has resulted in lack of awareness of people, CSOs as well as councilors on these schemes. A need was felt to strive for capacity building of all the stakeholders in order to facilitate them to play their respective roles more effectively in the planning, implementation and monitoring of these schemes.

The discussion highlighted that the current association between the government and the CSOs is generally marked with apprehension and a pinch of suspicion. It is largely due to the fact that government is unclear about what the roles, CSOs can play in such types of schemes while the CSOs feel that there is no legitimate space, which addresses their concerns. Lack of proper guidelines for engaging community participation was also discussed in the consultation. It was felt that Consultants who are engaged in the process of preparing CDPs and DPRs do not fully ensure people's participation in the whole process. They remain largely insensitive to the poor and marginalized communities. Thus the voices of such communities do not get properly reflected in the planning. Discussions pointed out that when people's aspirations are ignored, and plans are prepared without active their participation; thereby conflicts emerge as a result creating many sanagharsh samitis (constituting CSOs) are borne. On the contrary, the place of such sangharsh samitis should be taken by sahayog samitis.

From CMAR...

IEC Plan for SWM for ULBs of Rajasthan

Education, Communication (IEC) Plan for all ULBs of Rajasthan under Twelfth Finance commission (TFC) Grant is in pipeline. Directorate of Local Bodies, Government of Rajasthan has assigned City Managers Association Rajasthan to undertake Capacity Building component of the plan. Under this, training programs will be conducted for the officials of ULBs across Rajasthan, these officials further carry out training for the field staff of ULBs.

Collaboration with NRCUP at AIILSG, Mumbai for 'National Strategy for the Urban Poor'

Executive Committee of CMAR has fundamentally agreed for the collaboration with National Resource Centre on Urban Poverty (NRCUP) at RCUES, AIILSG, Mumbai for GoI UNDP project called 'National Strategy for the Urban Poor.'

11th Executive Committee Meeting of CMAR

11th Executive Committee meeting of association held on 3rd April, 2007, at meeting hall of Directorate of Local Bodies. Different pending issues of the association were sorted out. Best practice of Ramganj Mandi for door to door waste collection was discussed. Progress of HRD Plan was also reviewed. It was decided to call General Body Meeting of the association in June, 2007.

Geographical Information System (GIS) An effective tool for ULBs.

- **Arvind Pratap Singh**, Ex-Coordinator, CMAR

GIS an introduction - Geographical Information System is computer based geographical analytical tool which help in analyzing multi sectoral and cross sectional attributes of a particular pocket of land. It has its application in many use in different sectors like agriculture, infrastructure, urban planning & management, social sector, micro planning, space research, environment, weather / climate etc.

Use for ULBs
GIS can be used in many ways for ULBs.

Urban Planning
Spatial Analysis

Data Base
for preparing master plans: Regional and district plan.

Solid Waste Management
Deciding bins placement, transportation route etc. With use of advance technology like remote sensing and GPS, even track of door to door collection can be kept.

Tax / User Charges Collection
To keep and track record of tax / charges assessment of properties.

E-Governance
Creating MIS (Management Information System) for a city

Micro Planning
Community level decision making process.

Infrastructure and Asset Management
Laying infrastructure and asset management information on city map.

Disaster Management
Disaster Risk Assessment, preparedness and mitigation.

Global Urban Observatory
(source: http://hq.unhabitat.org/programmes/guo)
Better Information for Better Cities

Background
The Global Urban Observatory (GUO) addresses the urgent need to improve the world-wide base of urban knowledge by helping Governments, local

GIS to facilitate combined billing for civic services

Meticulous mapping of properties to be done

Staff Reporter

- 20 p.c. of properties will be measured in sample survey
- Codes to be assigned to each property, digital pictures taken
- Giving house numbers to properties, too, will become easier

HYDERABAD: The comprehensive survey of mapping of properties and utilities for developing an integrated Geographical Information System (GIS) for the city will eventually help in issuing a combined bill for all civic services.

Municipal Corporation of Hyderabad's Additional Commissioner (Planning and Projects) K. Dhananjaya Reddy has spoken about the possibility of an integrated bill for all municipal services, power, water and sewerage along with providing better civic administration when GIS becomes operational.

He was addressing field teams of the six private parties selected for undertaking the survey and the corporation staff at a workshop on the methodology to be adopted for the exercise on Saturday.

First of its kind

Mr. Reddy pointed out that the mammoth integrated work was the first of its kind in the country and achieving a scientific database will give an idea of the deficiencies in the delivery systems and improve upon them. Information gathered will also be useful for other public utility departments.

He underscored the need for a qualitative study within the fixed time frame of six months. Field survey will include mapping of buildings and utilities to their exact shape and dimensions with proper coding, measurements and verification of documents if necessary.

Additional Commissioner (Finance & IT) B. Ramesah Babu wanted field teams to apply uniform methods so that enumeration of the data and digitisation later will be easy. Such an exercise was done at Pune though the scale of the work was minimal.

Before the work is started the field teams will have to do a sample survey. Twenty per cent of the properties in each division will be measured both for their plot and plinth areas. Assessed and unassessed properties will be distinguished by green and red colour, respectively, in the maps.

Surveyors

Codes will be assigned to each property and digital photographs will be taken from the best possible angles. Director of House Numbering Syed Muzaffer Hussain offered to provide two experienced surveyors in each circle from his wing to the field teams since they have been involved in house number survey for the last couple of years.

GIS database will also make it easier to give new house numbers to properties in the 244 localities under MCH as it gives a complete picture of roads, lanes and bylanes.

authorities and organizations of the civil society develop and apply policy-oriented urban indicators, statistics and other urban information. The GUO was established by UN-HABITAT in response to a decision of the United Nations Commission on Human Settlements, which called for a mechanism to monitor global progress in implementing the Habitat Agenda and to monitor and evaluate global urban conditions and trends. The GUO works closely with Best Practices and Local Leadership programme (BLP) which was established to make use of information and networking in support of the Habitat Agenda Implementation. Both programmes operate under the Monitoring Systems Branch, which has the overall mandate to monitor progress on the Habitat Agenda and the Millennium Development Goals.

Activities

Current activities are based on the development of an integrated network of National and Local Urban Observatories. The beneficiaries are policy-makers at all levels and organizations of the civil society participating in sustainable urban development. The three main areas of work include assistance to governments, local authorities and organizations of local civil society to amplify their ability to collect, manage and maintain and use information on urban development; enhance the use of knowledge and urban indicators for policy formulation, planning and urban management through participatory process; and collection and dissemination of results of global, national and city level monitoring activities, as well as disseminating good practices in the use of urban information world-wide.

Flagship products:

Global Urban Observatory Network

Global Urban Observatory databases (urban indicators, statistics and city profiles)

Urban Observatories: Local and National Urban Observatories are governmental agencies, research centres or educational institutions that are designated as the "workshops" where monitoring tools are developed and used for policy-making through consultative processes. A Local Urban Observatory for a city or town is the focal point for urban policy development and planning where collaboration among policy makers, technical experts and representatives of partners groups is fostered. Networks of Local Urban Observatories are facilitated by National Urban Observatories where necessary. National Urban Observatories co-ordinate capacity building assistance and compile and analyze urban data for national policy development. Setting-up an Urban Observatory. Guide to joining the Global Urban

Observatory Network

Better information leads to better decisions. By providing decision-makers with reliable and accurate information this Programme will enable city managers to prioritize issues and channel attention to the most neglected areas within urban areas. This effort is expected to compliment other initiatives within cities that aim at improving city planning, governance and promoting environmental management. Experiences from successful applicants in GIS application will be shared with others also willing to implement the project.

Some Initiatives in India

Mirzapur created first municipal geographic information system (GIS) in India by combining property records with property and infrastructure maps. The Mirzapur GIS made identification and prioritization of low cost and high-impact investments at the city level for the first time. Municipal Corporation of Hyderabad is making efforts for combined billing for civic services with help of GIS.

In Karnataka GIS based property tax system is being introduced. The project envisages gathering authentic information for use in collection of the Property Tax. This would create a map linked database to enable systematic urban area management, formulate basic database for planning.

Community Based Information System (NIUA), Healthy Cities (NIUA) , Zoning Atlas (CPCB) are other efforts at national level.

Many cities have taken help of GIS like, Ahmedabad, Hyderabad, Mumbai, Bhopal, Indore, Lucknow, Mysore.

सिटी प्रोफाईल
बाड़मेर

बाड़मेर शहर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। बाड़मेर शहर राष्ट्रीय राजमार्ग सं 1 पर स्थित है। जो दक्षिण में गुजरात (अहमदाबाद) एवं उत्तर में पंजाब को जोड़ता है। बाड़मेर का पुराना शहर पहाड़ी की पूर्व दिशा में बसा हुआ है एवं नदी के ढलान घाट खागल के दोनों तरफ बना है। बाड़मेर शहर की स्थापना रावत भीमाजी ने सोलहवी शताब्दी में की थी । बाड़मेर एक जिला मुख्यालय है। 150 किमी. की परिधि में कोई बड़ा शहर नहीं है अतः यह पूरे जिले का मुख्य व्यवसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है। बाड़मेर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा है। यहाँ पीने के पानी की काफी कमी है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या: बाड़मेर शहर का क्षेत्रफल करीब 40 वर्ग किमी. है जिसमें 2001 की जनगणना के अनुसार करीब 90,000 / – के आसपास आबादी है।

1. नगर सीमा में क्षेत्रफलः– पूर्व पश्चिम 3.5 एवं 2.5 किलोमीटर – 8.75 किमी.
2. विकास प्राधिकरण में क्षेत्रफलः– (Planning Zone) लगभग पूर्व पश्चिम – 6.5 एवं अति दक्षिण औसत 5.5 – 35.75 वर्ग किलोमीटर है।
3. स्थितिः– बाड़मेर शहर राजस्थान राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग में थार मरुस्थल में स्थित है। यह 25° 45' उत्तरी देशान्तर (North latitude) एवं (71° 22') पूर्व (East longitude) एवं मध्य समुद्री तल से 250 मीटर ऊपर स्थित है।
4. परिवहन :–
   वायु मार्ग– उतरलाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर शहर से 10 किलोमीटर दूर विशिष्ट व्यक्तियों के लिए उपयोगी।
   – रेल मार्ग– जोधपुर से बाड़मेर वाया लूनी–समदड़ी, बाड़मेर से गडरा रोड
   – सड़क मार्ग– NH-15 पर स्थित जो दक्षिण में गुजरात को एवं उत्तर मे पंजाब को एवं राज्य राजमार्ग सं. 16 जो जोधपुर से बाड़मेर को जोड़ता है
5. जनसंख्या (2001) – 83,516.00
6. निर्देशक
   * जनसंख्या वृद्धि दर– 22.8 प्रतिशत
   * जन्म दर– 29.8 प्रतिशत
   * मृत्यु दर– 7 प्रतिशत
7. जलवायु
   * अधिकतम तापमान– 46°¼ (गर्मी में)
   * न्यूनतम तापमान – 9° ¼ (सर्दी में)
   * औसत वर्षा (इंच में) 10'' (25 cm)
8. अधोसंरचना– (Infrastructure)
   * शहर में कुल जल–प्रदाय– सभी बस्तियां जलदाय विभाग की पाइप लाइन से जुड़ी है।
   * भूमिगत नालियों से लाभान्वित जनसंख्या– लगभग 30,000 / – व्यक्ति
   * पक्की सड़कों की लम्बाई– 150 किलोमीटर
   * कच्ची सड़कों की लम्बाई– 50 किलोमीटर
   * प्रतिदिन निवर्तन किए जाने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा– 60 मैट्रिक टन
   * कुल सड़क बत्ती– सोडियम – 866 ट्यूब, फिक्चर 3581, हार्डमास्ट–5
9. नगरीय निकाय की वित्तीय स्थिति–
   * कुल 4452 लाख / करोड़
   * शहरी निकाय का कुल बजट (2002–2003) – 10,45,00,000.00 (1045 लाख) रुपये
   * नगरीय निकाय की अपनी स्रोतों से आय (2002–2003) 2,50,00,000.00 (250 लाख 1,50,00,000.00 (150 लाख) रुपये
   * सरकार से प्राप्त भूमि विक्रय अनुदान (2002–2003) – 4,11,27,348.00 (411 लाख) रुपये
   * नगरीय निकाय का कुल व्यय (2002–2003) – 9,10,00,000.00 (910 लाख) रुपये
10. प्रमुख उद्योग एवं संस्थाएं

बाड़मेर शहर का प्रमुख उद्योग बैडशीट (रंगाई छपाई), कसीदाकारी, बेन्टोनाइ सीमेंट, कॉरपेट का कार्य मुख्यतः होता है। शहर का मुख्य व्यवसाय सरकारी–कर्मचारियों एवं सैन्य कर्मियों पर निर्भर है। आसपास के क्षेत्रों में लिग्नाइट एवं कच्चा तेल मिलने की प्रबल संभावना है। शहर से 45 किलोमीटर दूर गिरल में लिग्नाइट आधारित 250 मेगावॉट बिजली घर का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। शहर की प्रमुख संस्थाएं राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, पोलीटेक्निकल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अध्यापक

ट्रेनिंग संस्थान BSF, ARMY, AIR FORCE विभिन्न समुदायों की संस्थाएं जैन मंडल, अग्रसेन संस्थान, लायन्स क्लब, माहेश्वरी युवा संघ, किसान छात्र संघ इत्यादि प्रमुख हैं।

11. नगरीय प्रशासन का इतिहास संक्षिप्त में :–

सन 1932 में प्रथम नगरपालिका का गठन हुआ । उस समय 16 वार्ड थे एवं सचिव स्तर के अधिकारी बैठते थे । वर्तमान में नगरपालिका के 35 वार्ड हैं। एवं अधिशाषी अधिकारी पद स्थापित है। बाड़मेर में नगर परिषद् भी स्थापित है। सन में पुनः नगरपालिका बना दी गयी।

12. शहरी विकास के लिए उठाए गए कदम:–

शहर के विकास के लिए पिछले पांच वर्षों में नगरपालिका द्वारा अथक प्रयास किये गये हैं। सभी मुख्य सड़कों को डोर टू डोर बनाया गया है एवं रोशनी हेतु हार्ड मास्ट लाईट्स लगायी गयी हैं। विभिन्न चौराहों का विकास कार्य किया गया है। सभी सड़कों को रोशनी प्रदान की गयी है। सभी कच्ची बस्तियों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। करीब आधी सड़कों का डामरीकरण कर दिया गया है। शहरों में फव्वारे लगाये गये हैं। करीब 6 करोड़ लागत के विकास कार्य कराये गये हैं। करीब 3.6 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई गयी है। 2 किलोमीटर लम्बे फुटपाथ बनाये गये हैं। शहर के एक मात्र बगीचे का सौन्दर्यीकरण किया गया है। गन्दे पानी की निकासी हेतु अन्तिम छोर तक पक्के नालों, सामुदायिक केन्द्रों, एवं विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। सभी पक्की सड़कों की नालियों का निर्माण कराया गया है।

आयुक्त / मुख्य अधिकारी का नाम एवं पता:

श्री नारायण सिंह सान्दू
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, बाड़मेर

नागरिक अधिकार पत्र

महत्वपूर्ण तत्व व घटक

- नगरीय निकाय का विजन एवं लक्ष्य का विवरण।
- नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का समयावधि सहित विवरण।
- निकाय में आने वाले नागरिकों व समस्याओं की श्रेणियों का विवरण।
- निकाय से सम्बंधित सेवाओं एवं सूचना की उपलब्धि सम्बंधित फॉर्म्स का शीर्षक मूल्य एवं सम्पर्क व्यक्ति का विवरण।
- यह भी उद्धरित करें कि हम आपको विनम्रतापूर्वक एवं सहयोग पूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी परेशानी की स्थिति में सम्पर्क अधिकारी का नाम, पता व अन्य विवरण दें।
- यह भी उद्धरित करें कि शिकायतों का स्वागत है। शिकायत लिखकर शिकायत पेटी में डालें या सम्पर्क अधिकारी का नाम, पता व अन्य विवरण दें।
- नागरिकों के सुझावों हेतु सम्पर्क अधिकारी का नाम, पता व अन्य विवरण दें।
- सुविधाओं में सुधार लाने हेतु नागरिकों से की जाने वाली अपेक्षाओं का विवरण।
- नागरिकों से विचार–विमर्श करने हेतु कार्य योजना व प्रकाशनों का विवरण दें।

खबरें राजस्थान से...

निजी कम्पनियां देंगी विकास के लिए कर्ज

राजस्थान अरबन डवलपमेंट फंड के माध्यम से मिलेगा धन

सभी शहरों में आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए निजी कम्पनियां करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं। यह कर्ज राशि न्यूनतम ब्याज दर पर दी जाएगी। यह काम सुशासन (Good Governance) के तहत हो रहा है। स्थानीय निकायों को शहर के विकास के लिए जल्दी व कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रारम्भिक स्तर पर पांच करोड़ रुपये से राजस्थान अरबन डवलपमेंट फंड का गठन कर रखा है। निजी कम्पनियां इसी फंड के माध्यम से निकायों को कर्ज देगी। आईएलएफ ने दो हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव किया है। हुडको व आईसीआईसीआई बैंक ने भी शहरों में आधारभूत ढांचे के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है।

चौबीस फरवरी से हाउस टैक्स खत्म

23 फरवरी तक के टैक्स की हो सकती है वसूली

प्रदेश में शनिवार से हाउस टैक्स समाप्त हो गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी । हाउस टैक्स के बदले फिलहाल कोई नया कर नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार इसकी भरपाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। हाउस टैक्स समाप्त करने का फैसला कैबिनेट ने 24 जनवरी को कोटा में हुई बैठक में लिया था। तब से यह अनिश्चितता बनी हुई थी कि आखिर टैक्स कब से खत्म माना जाएगा।

स्थानीय निकाय विभाग ने हाउस टैक्स को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी। स्थानीय निकाय विभाग के अति. निदेशक ने बताया कि टैक्स वसूली के लिए जिन लोगों को नोटिस मिल गए हैं और जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया है, जिनका हाउस टैक्स का निर्धारण हो रखा है और नोटिस नहीं मिले हैं, उन्हें 23 फरवरी तक का टैक्स जमा कराना पडेगा।

Registered under: the Rajasthan Societies Registration Act, 1958, Reg. No. 569/ Jaipur/ 2002-03, Dt. 24/08/2002

Office Bearers of CMAR

CHIEF PATRON
Mr. Pratap Singh Singhvi
Hon' State Minister, UDH & LSG

PATRONS
Shri Paramender Singh Panwar
Pr. Secretary, UDH

Dr. Manjit Singh
Secretary, Local Self Government

Mr. D. B. Gupta
Commissioner, JDA

CO- PATRONS
Mr. Ashok Parnami
Hon' Mayor of Jaipur

Ms Om Kumari Gehlot
Hon' Mayor, Jodhpur

Mr. Mohan Lal Mahavar
Hon' Mayor, Kota

PRESIDENT
Mr. Manohar Kant
Chief Executive Officer
Jaipur Municipal Corporation

EXECUTIVE PRESIDENT
Mr. O. P. Harsh
Director, Directorate of Local Bodies (DLB)

VICE PRESIDENTS
Mr. Ashutosh A. T. Padidnekar
CEO, Kota

Mr. Jagdish Purohit
CEO, Jodhpur

Mr. Radheshyam Gupta
Commissioner, Ajmer

Mr. Dinesh Gupta
Commissioner, Bikaner

Mr. S. C. Vyas
Commissioner, Udaipur

SECRETARY
Mr. Rajendra Singhal
Commissioner, Jaipur Municipal Corporation

TREASURER
Mr. K. R. Meena
Chief Accounts Officer,
Directorate of Local Bodies (DLB)

SECRETARIAT
Renu Bhagwat
Urban Planner
Coordinator Rajasthan State Operations

What you must do to support CMAR

- Pay your / institutional dues for 2002-2003
- Encourage individual membership within your institution.
- Join fully in CMAR activities
- Be a upbeat member- organize activities at your institution.
- Donate generously & save taxes
- Keep in mind ! CMAR is your institution.

For Information

Mr. Paramender Singh Panwar, Joined as New Pr. Secretary, UDH on 07-04-2007

Mr. Manohar Kant, Joined as New Chief Executive Officer, JMC on 07-04-2007

Ms. Renu Bhagwat, Joined as New Co-ordinator Rajasthan Operations of CMAR from 19-02-2007

Mission Statement of CMAR

"To promote excellence in city management for enhanced quality of urban life through responsive, transparent and accountable governance."

Partners of CMAR

Government of Rajasthan, USAID, USAEP, ICMA, FIRE Project.

You can be part of this team. Join CMAR as a partner to strengthen CMAR for promoting excellence in City Management.

Public Relations Officer
MS. RENU JUNEJA
Directorate of Local Bodies, Jaipur

For membership details write or contact to:
RENU BHAGWAT, Coordinator
CITY MANAGERS' ASSOCIATION RAJASTHAN
309, Jaipur Nagar Nigam, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur
Telefax +91- 141- 2744069
Email: coordinator@cmar-india.org

This newsletter is for the internal circulation only.

This newsletter is also available online at: **http://www.cmar-india.org/**